न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 48/2016 राजस्व अपील

1. धर्मसिंह पुत्र धन्ना गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम धूलकोट तहसील सिकराय उप तहसील सिकन्दरा जिला दौसा अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार, उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय उप तहसीलदार, उप तहसील सिकन्दरा तहसील सिकराय जिला दौसा, उनवानी प्रकरण सरकार बनाम धर्मसिंह, अन्तर्गत धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मुकदमा नम्बर 572/2016 निर्णय दिनांक 14.03.2016

उपस्थिति : श्री संजय कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: राजकीय अधिवक्ता उप0।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :– दिनांकः 17.05.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का पीपलकी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार उप तहसील सिकन्दरा में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मिन अपीलान्ट ने वाके ग्राम धूलकोट के आराजी खसरा नम्बर 193, 193/1–12 गैर मुमकिन रास्ता रकबा 04 बिस्वा पर सम्वत 2072 में गेहू, सरसो की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिक्रमी का भूमि पर पुराना कब्जा है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 14.03.2016 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 14.03.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत कि गई रिपोर्ट के साथ कोई नक्शा पेश नही किया गया है जिसमें दर्शाया गया हो कि मिन अपीलान्ट ने आराजी खसरा नं. 193, 193/1–12 गैर मुमकिन रास्ता वाके ग्राम धूलकोट अमुक निश्चित स्थान जिसका रकबा 04 बिस्वा है पर अतिक्रमण कर काश्त किया गया है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। वास्तविक तथ्य यह है कि मिन अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी की भूमि में हिस्से मुताबिक उसके कब्जेकाश्त के खेत खसरा नं. 171 की पूर्व दिशा में उक्त वर्णित गैर मुमकिन रास्ता खसरा न. 193 स्थित है। अपीलान्ट के उक्त खेत में रास्ते की तरफ कोई डोल आदि नही बनायी गई है। जिसके चलते उक्त वर्णित रास्ते के दूसरी ओर के काश्तकार/खातेदार ने बदयान्तीपूर्वक शनैः शनैः रास्ते की भूमि को अपने खेत में शामिल कर लिया और नाजयज रूप से अपीलान्ट की उक्त खातेदारी की भूमि में होकर जबरन रास्ता निकालना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किये जाने से पूर्व समुचित जांच करते हुए तथा सीमा ज्ञान की कार्यवाही करने के पश्चात निर्णय पारित करना चाहिए था। उक्त सम्बन्ध में प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सिविल न्यायाधीश सिकराय जिला दौसा में भी वाद विचाराधीन है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किये हुए है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम धूलकोट के आराजी खसरा नम्बर 193, 193/1–12 गैर मुमकिन रास्ता रकबा 04 बिस्वा पर सम्वत 2072 में गेहू, सरसो काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनिययम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 14.03.2016 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित

अति0 जिला कलक्टर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 60 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट का प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी की खातेदारी भूमि एंव रास्ते की भूमि का सीमाज्ञान कराये बिना ही प्रश्नगत निर्णय पारित कर दिया है। अतः प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार सिकन्दरा का प्रश्नगत निर्णय दिनांक 14.03.2016 को निरस्त किया जाकर प्रकरण उप तहसीलदार सिकन्दरा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में प्रश्नगत गै0मु0 रास्ता की भूमि का सीमाज्ञान कराया जाकर सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के अध्यधीन विधिसम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 17.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official